## विचार बिन्दु

**कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता केवल उसको उपयुक्त काम में लगाने वाला ही कठिनाई से मिलता है। –शुक्रनीतिदी**

# भारत में घास-भूमि संकटापन्न हैं

वैश्विक स्तर पर घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्र (जिनमें घासभूमियाँ, सवाना, झाड़ियाँ, वनों के बीच खुली भूमि तथा टुंड्रा क्षेत्र शामिल हैं) पृथ्वी की लगभग 30 से 40 प्रतिशत भूमि को आच्छादित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के शमन एवं अनुकूलन, पशुपालन तथा सांस्कृतिक सेवाओं जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। फिर भी, इनकी महत्ता के बावजूद, घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को वनों की तुलना में विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में इनकी क्षय दर वनों की तुलना में अधिक रही है।

भारत और दक्षिण एशिया में घासभूमियों को पारंपरिक रूप से 'बेकार' या 'बंजर भूमि' समझा जाता है।

इस त्रुटिपूर्ण धारणा के कारण घासभूमि पारितंत्रों को संरक्षण और महत्त्व नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि ऐसे क्षेत्र खंडित और विनष्ट हो रहे हैं। इनकी विशिष्ट जैव-विविधता तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका संकट में पड़ी हैं। लंबे समय तक नीति-निर्माताओं ने घासभूमियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं किया। प्राय: इन्हें बिगड़े वनों का हिस्सा या क्षरण-प्राप्त रूप मान लिया गया। परिणामस्वरूप, सुधार के नाम पर कई घास के मैदानों में वृक्षारोपण जैसे अनुचित हस्तक्षेप किए गए। हाल के विश्लेषण दर्शाते हैं कि वृक्ष आवरण बढ़ाने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम और घासभूमि प्रबंधन में कई सरकारी एजेंसियों की उलझनभरी भागीदारी ने इन पारितंत्रों को नुक़सान पहुँचाया है, और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में व्याप्त 'वन-पक्षपात' ने समस्या को और बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत में घासभूमियों के सफल संरक्षण व पुनर्स्थापन हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय नीति-ढाँचे और ठोस पारितंत्र वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता है।

असल में घासभूमियाँ पारिस्थितिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पारितंत्र अनेक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं और जैव विविधता का पोषण एवं संरक्षण करते हैं। कई घासभूमि क्षेत्रों में वनस्पति और जीवों की अनूठी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत-सी केवल इन्हीं आवासों तक सीमित (स्थानिक) हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ गोडावण प्रजाति पाई जाती है, जैसी घासभूमि में सैकड़ों पौधों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। घासभूमियाँ अनेक विशिष्ट वन्यजीवों और वनस्पतियों को आश्रय देती हैं। इनके बने रहने से जल-संचय जैसी पारिस्थितिक सेवाएँ भी मिलती हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतीय घासभूमियों जिन्हें शोला कहा जाता है, पर शोध से पता चला है कि यदि वहाँ फैल रहे विदेशी पेड़ों (जैसे यूकेलिप्टस, एकेशिया) को हटाकर मूल घास मैदान को बहाल किया जाए तो जलधारा प्रवाह बढ़ता है।

फिर भी, अपने बहुमूल्य महत्व के बावजूद भारत की घासभूमियाँ अनेक गम्भीर संकटों का सामना कर रही हैं। भूमि-उपयोग परिवर्तन इनमें सबसे प्रमुख है: विशाल घासभूमि क्षेत्रों को कृषि, वनीकरण या विकास परियोजनाओं हेतु परिवर्तित किया जा चुका है। पश्चिमी भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में कई अहम घास के मैदान बढ़ती मानव आबादी और विकास के दबाव के चलते खेतों में बदले जा चुके हैं।

तराई-दुआर जैसे इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ हिमालय की तलहटी की अधिकांश घासभूमि पहले ही कृषि और शहरीकरण की भेंट चढ़ चुकी है। जो थोड़े-बहुत घासस्थल बचे हैं, वे भी धीरे-धीरे झाड़ियाँ और वृक्ष पनपने से सिकुड़ रहे हैं। भारत-नेपाल के संरक्षित तराई-दुआर क्षेत्रों में पिछले तीन दशकों में घासभूमि क्षेत्रफल में लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वनों/झाड़ियों का आवरण 8-9 प्रतिशत बढ़ गया है। स्पष्ट है कि कई घासस्थलों में काष्ठीय वनस्पतियों का अतिक्रमण जारी है, जिससे खुले घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं।

घासभूमियों पर दूसरा बड़ा संकट बाहरी आक्रामक प्रजातियों (इनवेसिव स्पीशीज) का फैलाव है। देश के विभिन्न भागों में कई अनावश्यक खरपतवार और लताएँ प्राकृतिक घासभूमियों में घुसपैठ कर रही हैं।

असम के मानस तथा काज़ीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के घासस्थलों में क्रोमोलेना ऑडोराटा और मिकेनिया माइक्रांथा जैसी आक्रामक प्रजातियाँ तेज़ी से फैलकर घास के स्थान पर घनी झाड़ियाँ बना रही हैं। ये अवांछित पौधे हाथी, गैंडे, बारहसिंगा आदि बड़े शाकाहारी जीवों के लिए उपलब्ध चारा और आवरण को घटा देते हैं। एक सींग वाले गैंडे के मामले में शिकार रोकने पर तो ध्यान है, मगर घासभूमि में फैलती इन खरपतवारों पर नहीं। यदि यह स्थिति यूँ ही जारी रही तो गैंडे समेत अन्य घासभूमि-निर्भर जीवों के लिए उपयुक्त भोजन और आवास लगातार घटते जाएँगे। पश्चिम भारत की सूखी चारागाह भूमि पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक कांटेदार विदेशी वृक्ष बड़ा संकट बन चुका है। गुजरात के कच्छ जिले की बन्नी घासभूमि में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के भारी प्रसार ने कई देशज पेड़-झाड़ियों को पीछे ढकेल दिया है।

यहाँ तक कि औषधीय महत्व की दुर्लभ गुग्गुल जैसी स्थानीय प्रजाति की संख्या इन झाड़ियों के बढ़ने से घट गई है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के आक्रमण से घासभूमि की संरचना बदल जाती है - भले ही कुल प्रजाति संख्या में कुछ खरपतवारों की मौजूदगी से बढ़ोतरी दिखे, पर महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियाँ और पौष्टिक घासें कम हो जाती हैं। आक्रामक प्रजातियों का बेकाबू फैलाव घासभूमि पारितंत्र की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटा देता है।

**प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के आक्रमण से घासभूमि की संरचना बदल जाती है - भले ही कुल प्रजाति संख्या में कुछ खरपतवारों की मौजूदगी से बढ़ोतरी दिखे, पर महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियाँ और पौष्टिक घासें कम हो जाती हैं। आक्रामक प्रजातियों का बेकाबू फैलाव घासभूमि पारितंत्र की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटा देता है।**

अनियंत्रित चराई (अत्यधिक चरन) भी कई घासभूमियों के क्षरण का कारण है। हिमालय से लेकर मध्य व पश्चिम भारत तक अनेक चरागाह क्षेत्रों में अत्यधिक पशुपालन दबाव के चलते घास आवरण में कमी, मिट्टी क्षरण और उत्पादकता घटने जैसी समस्याएँ देखी गई हैं। जब चराई की दर घास के पुनर्जीवन से अधिक हो जाए, तो घास दुर्बल पड़कर खरपतवारों को स्थान देने लगती हैं, और अन्ततः भूमि की वहन क्षमता घट जाती है जिससे पशुधन एवं वन्यजीव दोनों प्रभावित होते हैं।

अग्नि प्रबंधन की चुनौतियाँ भी घासभूमियों को प्रभावित करती हैं। आग कई उष्णकटिबंधीय घासभूमि पारितंत्रों का प्राकृतिक अंग रही है - समय-समय पर नियंत्रित आग से पुरानी घास हटकर नई घास का अंकुरण होता है और वृक्षों का अत्यधिक बढ़ना थमता है। लेकिन आज कई अभयारण्यों में आग का संतुलन बिगड़ गया है: कहीं हर साल अनियंत्रित आग लगने से कुछ हिस्से बार-बार जलते हैं, तो कहीं आग पूरी तरह रोक देने से झाड़ियाँ बेरोकटोक फैल जाती हैं। तराई के अभयारण्यों में उपग्रह आंकड़ों से पता चला है कि पार्क के भीतर सड़कों के किनारे आग की घटनाएँ अंदरूनी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं, जिससे वे घास के मैदान बारंबार जलकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पश्चिमी घाट में भी आग-निषेध की नीति के फलस्वरूप कई घासभूमियाँ वनों में तब्दील हो गई हैं। इसलिए आग का न तो अतिप्रयोग हो और न ही पूरा निषेध - संतुलित अग्नि प्रबंधन घासभूमि के लिए आवश्यक है।

घासभूमि पारितंत्रों पर हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से इन प्रणालियों की जटिलता पर नई रोशनी पड़ रही है। एक नियंत्रित प्रयोग में शुष्क उष्णकटिबंधीय घासभूमि की कुल प्राथमिक उत्पादकता वर्षा बढ़ने पर बढ़ गई, पर यह वृद्धि मुख्यत: घास (ग्रैमिनॉइड) प्रजातियों से आई; चौड़ी पत्ती फ़ोर्ब प्रजातियों में ऐसा लाभ नहीं देखा गया। वास्तव में कुछ फ़ोर्ब प्रजातियाँ बहुत कम या बहुत अधिक वर्षा, दोनों परिस्थितियों में घट गईं - जिससे संकेत मिलता है कि वर्षा पैटर्न में बड़े बदलाव इन संवेदनशील प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और घासभूमि की जैव-विविधता को बदल सकते हैं। घासभूमियों की उत्पादन क्षमता मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। पश्चिमी भारत की बन्नी घासभूमि में फॉस्फोरस की कमी को घास उत्पादन घटने का प्रमुख कारण पाया गया है; लेकिन नियंत्रित मध्यम चराई जैसे प्रबंधन से मिट्टी में पोषक चक्रण बढ़ाकर घासभूमि की उत्पादकता और स्थायित्व सुधारा जा सकता है। अंत में, घासभूमियों के पुनर्स्थापन से कार्बन भंडारण क्षमता भी बढ़ सकती है। एक अध्ययन के अनुसार अर्ध-शुष्क सवाना घासभूमियों में बहाली के केवल तीन वर्षों बाद मिट्टी के कार्बन भंडार बिना बहाली वाले स्थलों की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक पाए गए। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रभावी संरक्षण और बहाली से ये घासभूमियाँ प्राकृतिक 'कार्बन सिंक' की तरह कार्य कर सकती हैं।

इन चुनौतियों को देखते हुए भारत में घासभूमियों की रक्षा, सतत प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए बहुआयामी रणनीतियाँ अपनाना अत्यावश्यक है। सबसे पहले, नीति-निर्माण के स्तर पर घासभूमियों को उनका उचित स्थान देना होगा। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर घासभूमियों को एक अलग और महत्त्वपूर्ण पारितंत्र के रूप में मान्यता देकर उन्हें 'वेस्टलैंड' या निम्न श्रेणी के दर्जे से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक इनके साथ होने वाला भेदभाव समाप्त नहीं होगा। एक समग्र राष्ट्रीय घासभूमि नीति तथा स्पष्ट पारितंत्र-वर्गीकरण ढाँचे की आवश्यकता है, जिससे संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों को सही दिशा मिल सके।

स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत योजनाएँ बनानी होंगी। दक्षिण भारत की कंगयम घासभूमि इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ स्थानीय किसानों ने लगभग 150 वर्षों से घेराबंदी कर चराई को नियंत्रित करते हुए, अंतराल पर चारा फसलें उगाते हुए और जल-संचयन व सिंचाई का उपयोग करके इस शुष्क क्षेत्र की घासभूमि को सतत उत्पादक बनाए रखा है। सुनिश्चित भू-अधिकार और सामुदायिक सहयोग की बदौलत यह चारागाह एक सदी से अधिक समय तक स्थिर बना रहा, जो दर्शाता है कि समुदाय-आधारित प्रबंधन घासभूमि संरक्षण में अत्यंत प्रभावी हो सकता है।

आक्रांत वनस्पतियों से प्रभावित घासभूमियों में उन्हें नियंत्रित करने और हटाने के विशेष उपाय ज़रूरी हैं। कच्छ की बन्नी घासभूमि में प्रोसोपिस का प्रसार रोकने के लिए एक अध्ययन में यांत्रिक उन्मूलन (झाड़ियों को जड़ समेत हटाना) और आंशिक छंटाई (लॉपिंग) दो तरीकों का परीक्षण किया गया।

परिणामों के अनुसार प्रोसोपिस को पूर्णत: हटाने पर घासभूमि की देशी वनस्पति आवरण और प्रजाति विविधता, नियंत्रण की तुलना में तीन से छह गुना तक बढ़ गई, जबकि केवल छंटाई से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालाँकि प्रोसोपिस का पूरी तरह उन्मूलन महंगा है और कुछ स्थानीय लोग ईंधन-चारे के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बहाली के दौरान कुछ भाग प्रोसोपिस युक्त छोड़ना और शेष को प्रोसोपिस मुक्त रखना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। राजस्थान के घासबीड में भी प्रोसोपिस हटाना आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में सक्रिय खरपतवार नियंत्रण अपनाकर भी घासभूमियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, और इसके परिणाम अच्छे मिले हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क प्रबंधन तथा अन्य संगठनों ने मिलकर क्रोमोलेना जैसी खरपतवारों को काटकर-जलाकर दर्जनों हेक्टेयर घासभूमि बहाल की हैं और बेहतर गश्त और निगरानी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आक्रामक प्रजातियाँ फिर सिर न उठा सकें। जहाँ घासभूमि में झाड़ियों/वृक्षों का अतिक्रमण बढ़ रहा हो, वहाँ नियंत्रित आग और नियोजित चराई जैसे हस्तक्षेप अपनाकर घासभूमि को खुले स्वरूप में बनाए रखा जा सकता है। अंत में, घासभूमि संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक समझ और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति - इन तीनों की आवश्यकता है। तभी हम सुनिश्चित कर पाएँगे कि ये मूल्यवान घासभूमि पारितंत्र भविष्य के लिए सुरक्षित रहें और 'बंजर भूमि' समझकर की जाने वाली उपेक्षा से मुक्त हो सकें।

**–अतिथि सम्पादक,**
**डॉ. दीप नारायण पाण्डेय**
**( भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर )**
**( यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं )**

# महिला सशक्तिकरण में राजस्थान : योजनाओं से आत्मनिर्भरता तक की यात्रा

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मात्र नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि आंकड़ों से प्रमाणित सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरित किया है

**डॉ. मंजू बाघमार**

किसी भी राज्य की प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तभी समाज का संतुलित और टिकाऊ विकास संभव होता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इस मूल सत्य को शासन की प्राथमिकता बनाते हुए महिला सशक्तिकरण को नीतिगत संकल्प, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और ठोस क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ाया है। इसके परिणाम आज अद्यतन आंकड़ों और ज़मीनी बदलाव के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण किसी एक विभागीय योजना तक सीमित नहीं, बल्कि सरकार के समग्र शासन दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में महिला-केंद्रित योजनाओं को ठोस गति मिली है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक सुरक्षा सबसे मजबूत आधार है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 91 लाख पेंशनधारकों के खातों में 1,100 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित की गई। पालनहार योजना के अंतर्गत 5.95 लाख लाभार्थियों को 103 करोड़ की सहायता प्रदान की गई, जिससे अनाथ, परित्यक्त और असहाय बच्चों की परवरिश करने वाली महिलाओं को आर्थिक संबल मिला।

बालिका एवं महिला शिक्षा को मजबूती : उच्च शिक्षा में बालिकाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5,000 छात्राओं को 2.5 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 1.55 लाख छात्राओं को 15 करोड़ की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई, जिससे सामाजिक समानता और शिक्षा में भागीदारी को मजबूती मिली।

लाडो प्रोत्साहन योजना को अब लक्षित और प्रभावी स्वरूप दिया गया है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 4.6 लाख बालिकाओं को 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता किश्तों में प्रदान की जा रही है। यह योजना बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक संरक्षित करने का सशक्त माध्यम बन रही है।

महिला स्वास्थ्य को मानवीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ करते हुए सरकार ने 1.22 करोड़ महिलाओं एवं किशोरियों को नि:शुल्क मासिक सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए हैं। मातृत्व सहायता राशि को बढ़ाकर 6,500 किया गया है, जिससे अब तक लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की है। इससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ लाभार्थी अब अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

वर्तमान में राज्य में 1,800 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं तथा देशभर के 31,000 से अधिक अस्पतालों को इससे जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

प्रधानमंत्री के विज़न से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' के रूप में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5,000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ की ऋण सहायता दी गई है। साथ ही लखपति दीदी, कृषि सखी और पशु सखी को टैबलेट वितरण कर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया है।

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य में 22,000 सीसीटीवी कैमरे, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी-रोमियो स्क्वॉड सक्रिय किए गए हैं। इन ठोस प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि पिछली सरकार के अंतिम दो वर्षों की तुलना में महिला अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मात्र नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि आंकड़ों से प्रमाणित सामाजिक परिवर्तन में रूपांतरित किया है। करोड़ों महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं, हजारों करोड़ रुपये का निवेश सीधे महिलाओं के जीवन में उतरा है और आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

आज राजस्थान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय और प्रेरणादायी मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो 'विकसित राजस्थान 2047' की परिकल्पना को सशक्त आधार प्रदान करता है।

**–डॉ. मंजू बाघमार,**
**महिला एवं बाल विकास**
**राज्य मंत्री, राजस्थान**

# सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में ''गोडावण'' को मिलेगा जीवनदान

## 14 वर्ष बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोडावण बचाने के क्रम में आया है, कोर्ट ने जैसलमेर-बाड़मेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का फैसला सुनाया

**जैसलमेर,** (निसं)। पवन चक्की, सौर ऊर्जा की करंट वाली लाइनों की चपेट में आने से जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में गोडावण की अकाल मृत्यु हो रही है। 2011 में तत्कालीन जिला कलैक्टर गिरिराजसिंह कुशवाह द्वारा इन लाइनों को अंडरग्राउंड करवाने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार को पत्र लिखा था, अब 14 वर्ष बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गोडावण बचाने के क्रम में आया है। जैसलमेर-बाड़मेर में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर न्यायालय ने रोक लगाने का निर्णय सुनाया है।

फाइल फोटो

- **गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के 14 हजार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है**
- **पीठ ने अपने आदेश में माना कि जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र में गोडावण की मौत का सबसे बड़ा कारण हाईटेंशन बिजली लाइनों से टकराव है, खुले रेगिस्तानी इलाकों में उड़ते समय गोडावण को तार दिखाई नहीं देते और टकराकर इनकी मौत हो जाती है**
- **2011 में तत्कालीन जिला कलैक्टर गिरिराजसिंह कुशवाह ने पवन चक्की, सौर ऊर्जा की करंट वाली लाइनों की चपेट में आने से गोडावण की हो रही अकाल मृत्यु को लेकर इन लाइनों को अंडरग्राउंड करवाने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार को पत्र लिखा था**

राज्य पक्षी गोडावण को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चांडूरकर की पीठ ने गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के कुल 14 हजार 753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी और पर्यावरणविद् एम. के. रंजीत सिंह द्वारा दायर याचिका जिसमें कहा गया है कि गोडावण के विचरण क्षेत्र में तेजी से फैल रही सोलर और विंड परियोजनाएं और बिजली लाइनें इस दुर्लभ पक्षी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं, पर न्यायालय द्वारा शुक्रवार 19 दिसम्बर को फैसला सुनाते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की, जिसका सबसे ज्यादा असर जैसलमेर और बाड़मेर जिलों पर पड़ेगा। गोडावण राजस्थान की आत्मा है। अगर यह पक्षी खत्म हुआ, तो यह हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी पर्यावरणीय विफलता होगी।

कोर्ट ने कहा कि जैसलमेर-बाड़मेर में काम कर रही ऊर्जा कंपनियों को अपनी सीएसआर राशि गोडावण और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गोडावण के लिए संरक्षित क्षेत्र बढ़ाकर 14 हजार 13 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। इसमें जैसलमेर के सम, पोकरण, लाठी, धोलीया, चाचा, ओढ़ाणिया और बाड़मेर से सटे कई इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अब 2 मेगावाट से बड़े नए सोलर प्रोजेक्ट, नई पवन चक्कियां और हाईटेंशन ओवरहेड बिजली लाइनें नहीं लगाई जा सकेंगी। पीठ ने अपने आदेश में माना कि जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र में गोडावण की मौत का सबसे बड़ा कारण हाईटेंशन बिजली लाइनों से टकराव है। खुले रेगिस्तानी इलाकों में उड़ते समय गोडावण को तार दिखाई नहीं देते और टकराकर उसकी मौत हो जाती है।

इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने 33 केवी, 66 केवी और कई जगह 400 केवी तक की मौजूदा बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। लगभग 250 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनों को अगले दो वर्षों में भूमिगत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब गोडावण क्षेत्र में बिजली लाइनें बेतरतीब तरीके से नहीं बिछेंगी। संवेदनशील इलाकों में केवल निर्धारित पावर कॉरिडोर से ही ट्रांसमिशन लाइनें गुजरेंगी, ताकि पक्षियों के प्राकृतिक आवागमन में बाधा न आए। जैसलमेर और बाड़मेर देश के सबसे बड़े सोलर और विंड एनर्जी हब माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यहां चल रही और प्रस्तावित कई बड़ी परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय जरूरतों के लिए 2 मेगावाट तक के छोटे सोलर प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जा सकती है।

पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को प्रोजेक्ट गोडावण के दूसरे चरण को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत घास के मैदानों का संरक्षण, अवैध शिकार पर सख्ती, आवारा कुत्तों और शिकारी जानवरों की निगरानी तथा गोडावण के प्रजनन कार्यक्रम को तेज किया जाएगा।

राजस्थान में गोडावण की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अब सिर्फ 175 गोडावण ही शेष बचे हैं। इनमें से अधिकांश पक्षी जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क और उससे सटे इलाकों में पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने गोडावण को पहले ही अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तत्काल और सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले कुछ वर्षों में गोडावण पूरी तरह विलुप्त हो सकता है। बिजली की हाईटेंशन लाइनों से टकराव, घटते घास के मैदान और मानवीय गतिविधियां इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं।

## राशिफल रविवार 21 दिसम्बर, 2025

**पंडित अनिल शर्मा**

पौष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 3:36 तक, वृद्धि योग सायं 4:36 तक, बव करण प्रात: 9:11 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-धनु, चन्द्रमा-धनु, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज राजयोग रात्रि 3:36 से सूर्योदय तक है। सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग रात्रि 3:36 से सूर्योदय तक है। सायन मकर में सूर्य प्रवेश रात्रि रात्रि 8:33 पर होगा। आज प्रतिपदा तिथि में वृद्धि हुई है। आज चन्द्र दर्शन उत्तर श्रृंगोन्नति है। आज से सूर्य उत्तरायण होगा और शिशिर ऋतु आरम्भ होगी।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर 8:33 से 9:50 तक, लाभ-अमृत 9:50 से 12:25 तक, शुभ 1:42 से 2:59 तक।

**राहूकाल:** 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 7:16, सूर्यास्त 5:34 तक

**मेष**
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**सिंह**
आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**धनु**
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। मनोरंजन से संबंधित यात्रा संभव है।

**वृष**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

**कन्या**
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**मकर**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मनोरंजन पर धन खर्च हो सकता है।

**मिथुन**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**तुला**
महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों और मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**कुंभ**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**कर्क**
व्यक्तिगत पारिवारिक परेशानी दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। धार्मिक-मांगलिक कार्य के कारण बाहर जाना पड़ सकता है।

**वृश्चिक**
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**मीन**
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।